राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनोखी बनाम घासी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/06/2026 को पेश हो |	
03/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/08/2015 पारित करते हुये तहसीलदार बस्सी को विवादित भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, 354 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 372 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा ग्राम खोरी तहसील बस्सी का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29/05/2017 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है | गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य किया गया विभाजन न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत है, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है | सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपील के माध्यम उठाये गये तकनीकी बिन्दु के आधार पर निरस्त अथवा लम्बित रखा जाना उचित नही समझा जाता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नह होता है |	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अनोखी बनाम घासी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	788/2018	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/05/2017 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |